रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2017/आषाढ़ 23, 1939
No. 628] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2017/ASADHA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 880(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 175, धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 184, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 188, धारा 189 और धारा 191 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में –

(i) उपनियम (3) के खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड़) कोई निदेशक जो इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से बैठक में भाग लेना चाहता है, वह कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ही ऐसी भागीदारी के विषय में सूचित कर सकता है और ऐसी घोषणा एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगीः

परंतु ऐसी घोषणा से उसे वैयक्तिक रूप से बैठक में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा, जिसके लिए वह निदेशक, कंपनी को वैयक्तिक रूप से भाग लेने के उसके आशय की अग्रिम सूचना देगा।"।

(ii) उपनियम (11) के खंड (क) में "बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय" शब्दों के पश्चात् "और इस प्रकार से रिकार्ड किए गए मसौदा कार्यवृत्त को उपनियम (12) के अनुसार मसौदा कार्यवृत्त की पुष्टि होने तक कंपनी द्वारा संरक्षित रखा जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के नियम 6, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा -

"6. बोर्ड की समितियां – प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन आने वाली किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड एक 'लेखा परीक्षा समिति' और एक 'बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति' का गठन करेगा।"।

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल.V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्यांक 240(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1.	सा.का.नि.398(अ)	12 जून, 2014
2.	सा.का.नि.590(अ)	14 अगस्त, 2014
3.	सा.का.नि.206(अ)	18 मार्च, 2015
4.	सा.का.नि.971(अ)	14 दिसंबर, 2015
5.	सा.का.नि.309(अ)	30 मार्च, 2017

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 880(E).—In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 3,-

(i) in sub-rule (3), for clause (e), the following shall be substituted, namely:-

"(e) Any director who intends to participate in the meeting through electronic mode may intimate about such participation at the beginning of the calendar year and such declaration shall be valid for one year :

Provided that such declaration shall not debar him from participation in the meeting in person in which case he shall intimate the company sufficiently in advance of his intention to participate in person.".

(ii) in sub-rule (11), in clause (a), after the words "decision taken by majority", the words "and the draft minutes so recorded shall be preserved by the company till the confirmation of the draft minutes in accordance with sub-rule (12)" shall be inserted.

3. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"**6. Committees of the Board. -** The Board of directors of every listed company and a company covered under rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 shall constitute an 'Audit Committee' and a 'Nomination and Remuneration Committee of the Board'.".

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended *vide* notifications as detailed below:—

S. L. No.	Notification Number	Date
1	G.S.R. 398(E)	12th June, 2014
2	G.S.R. 590(E)	14th August, 2014
3	G.S.R. 206(E)	18th March, 2015
4	G.S.R. 971(E)	14th December, 2015
5	G.S.R. 309(E)	30th March, 2017

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.17 16:21:01 +05'30'